

कार्या. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, अशोकनगर (म.प्र.)
न्यायालय परिसर, गुना रोड़, बरखेड़ी, जिला अशोकनगर

// भर्ती विज्ञप्ति //

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम-2022 अंतर्गत लागू नियम, शर्तें, निर्धारित योग्यता एवं वेतन/मानदेय पर म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्रमांक फा0न0 97/एल.ए.डी.सी.एस. /राविसेप्रा/4420/2024 के पालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर अंतर्गत जिला मुख्यालय अशोकनगर स्थित ए.डी.आर. सेंटर, अशोकनगर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना क्रियान्वित होकर जिला मुख्यालय अशोकनगर हेतु निम्नानुसार संविदा के **आधार पर 01 वर्ष हेतु निम्न पदों के लिए ऑफ लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित** किये जा रहे हैं:-

01. पद, संख्या, वेतनमान

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	मासिक वेतन (रूपये में)
1	कार्यालय सहायक	01	12,500 से 15,000/-
2	रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	01 MPPLR	12,000 से 15,000/-
3	कार्यालय भृत्य	01	10,000 से 12,000/-

02. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि 01/04/2025 आवेदन कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 23/04/2025 सायं 05:00 बजे तक।

03. उक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र के प्रारूप कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय अशोकनगर अथवा जिला न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट अथवा म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की वेबसाईट www.mpslsa.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं।

04. साक्षात्कार तथा आवश्यक पद अनुसार टाइपिंग टेस्ट हेतु दिनांक, प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी के उपरांत जिला न्यायालय, अशोकनगर की अधिकारिक वेबसाईट तथा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर के सूचना पटल पर यथा संभव दिनांक 30/04/2025 को या उसके बाद प्रसारित की जाएगी।

05. शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ:-

कार्यालय सहायक/क्लर्क के लिए योग्यता:-

- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- स्नातक उत्तीर्ण
- आधारभूत वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और डेटा फीड करने के लिए कम्प्यूटर संचालन कौशल की क्षमता।
- अच्छी टाईपिंग गति की प्रवीणता के साथ याचिका की उचित सेटिंग का ज्ञान।
- डिक्टेशन प्राप्त करने तथा न्यायालयों में सही ढंग से फाईल प्रस्तुत करने की क्षमता।
- कार्यालय की फाईल्स एवं अन्य दस्तावेजों का जिम्मेदारी पूर्वक सही ढंग से रख-रखाव व संरक्षण का ज्ञान।
- नालसा संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशा अनुसार अन्य योग्यताएं।

रिसेप्शनिस्ट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर की योग्यताएँ:-

- शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता:- स्नातक उत्तीर्ण।
- उत्कृष्ट मौखिक तथा लिखित संचार कौशल।
- वर्ड तथा डेटा प्रोसेसिंग क्षमता।
- दूर संचार प्रणालियों (टेलीफोन, फैक्स, स्विच बोर्ड आदि) पर कार्य करने की क्षमता।
- अच्छी टाईपिंग गति के साथ प्रवीणता।
- नालसा, संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशा अनुसार अन्य योग्यताएं।

कार्यालय भृत्य हेतु योग्यताएँ:-

- कार्यालय भृत्य हेतु, नालसा संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशा अनुसार शासन द्वारा निर्धारित कक्षा 8वीं उत्तीर्ण।
- हिन्दी भाषा को पढ़ने और लिखने की क्षमता।
- नालसा, संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 की मंशा अनुसार अन्य योग्यताएं।

टीप:- आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्त अनुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताओं अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

06. आवेदन पत्र एवं स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज:-

आवेदक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की संशोधित, लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम 2022 के अंतर्गत उल्लेखित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अथवा इस विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार अपने आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरें तथा अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज/प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रेषित किया जाना अति आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है एवं वह अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

07. आवेदन पत्र का प्रेषण:-

आवेदक को आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं दो नवीन रंगीन छायाचित्रों (पासपोर्ट साईज फोटो) के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन पत्र भेजा जा रहा है, उस पद का नाम अंकित करते हुये प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर के नाम से संबोधित करते हुये, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर में स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 23/04/2025 को शाम 05:00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं कोई पत्राचार भी मान्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदनों को निरस्त माना जाएगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त न होने की दशा में संबंधित आवेदक की अभ्यार्थिता स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी और उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

08. प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी :-

दिनांक 23/04/2025 शाम 05:00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों की नियमानुसार स्कूटनी का कार्य किया जाएगा। स्कूटनी का कार्य में पात्र पाए गए आवेदकों की अंतिम सूची जिला

विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर के सूचना पटल तथा जिला न्यायालय अशोकनगर की आधिकारिक वेबसाईट पर यथा संभव दिनांक 30/04/2025 को या उसके बाद प्रदर्शित की जाएगी।

09. चयन प्रक्रिया/साक्षात्कार :-

अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा तथा चयन समिति द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर अधिकतम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु चयन किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में 1:3 के अनुपात में प्रतीक्षा सूची संधारित होगी। छः माह पश्चात् अथवा अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत प्रतीक्षा सूची निरस्त मानी जावेगी। पात्र आवेदकों को चयन समिति/बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए नियत तिथि पर उपस्थित रहना होगा। आवेदक को साक्षात्कार दिनांक के दिन अपने आवेदन पत्र में संलग्न स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। जिसका सत्यापन, साक्षात्कार दिनांक पर किया जाएगा। पद की पात्रता हेतु चयन समिति द्वारा टाईपिंग योग्यता का परीक्षण भी किया जा सकता है। अनुपस्थित रहने की दशा में आवेदकगण को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा तथा उसका आवेदन अनुपस्थिति की दशा में स्वतः निरस्त माना जाएगा।

10. चयन परिणाम :-

चयन समिति/बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से चयनित आवेदकों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर के सूचना पटल तथा जिला न्यायालय, अशोकनगर की आधिकारिक वेबसाईट ashoknagardcourts.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की दशा में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता देते हुये सूची तैयार की जाएगी। आवेदक अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर में संपर्क कर सकते हैं।

नोट :-

अंतिम परिणाम सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसे की आवश्यक समझा जाए यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान त्रुटि ध्यान में आती है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर का परिणामिक परिवर्तनों के साथ चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

11. नियुक्ति के संबंध में :-

चयनित आवेदकों की नियुक्ति माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के पत्र क्र.फा.न. 97/एलएडीसीएस/राविसेप्रा/4420 जबलपुर, दिनांक 12.11.2024 के अनुसार एक वर्ष के लिए संविदा आधार पर की जाएगी।

चयनित आवेदकगण को पुलिस वैरीफिकेशन प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तथा जिला मेडिकल बोर्ड से स्वयं के व्यय पर निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, अदा कर मेडिकल जांच करवाकर फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

12. शुद्धि पत्र :-

उपरोक्तानुसार पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन शुद्धिपत्र के माध्यम से जिला न्यायालय अशोकनगर की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट पर प्रकाशित शुद्धिपत्र को सभी अभ्यर्थियों के लिए उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। शुद्धिपत्र की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

13. आवेदनों का विनष्टीकरण :-

आवेदन पत्रों व अन्य सामग्री को (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन को छोड़कर) चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के 01 वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाएगा।

// चयन एवं अभ्यर्थी के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी //

1. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हेतु स्टाफ (कार्यालय सहायक, रिसेशनलिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं कार्यालय भृत्य) की भर्ती पूर्ण रूप से संविदा आधार पर 01 वर्ष हेतु होगी।
2. अभ्यर्थी तीनों पद/वर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा तथा आवेदन पत्र में अपने पद की वरीयता दर्शित करनी होगी। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है।
3. अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही साक्षात्कार दिनांक को ही होगी और उन्हें साक्षात्कार में मूल दस्तावेज एवं पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा।
4. यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुए भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी जाती है अथवा कोई जानकारी नहीं दी जाती है अथवा किसी जानकारी को छुपाया जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रक्रम पर चयन/अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं होगा।
5. साक्षात्कार तथा आवश्यक पद हेतु टाइपिंग टेस्ट, दिनांक की सूचना जिला न्यायालय अशोकनगर की आधिकारिक वेबसाइट ashoknagardcourts.gov.in एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी।
6. यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दण्डित प्रकरण/कार्यवाही किसी पुलिस थाना/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो अथवा उसे दोषसिद्ध कर दंडित किया गया हो तो कार्यवाही के परिणाम/निर्णय संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदान करें।
7. पुनः साक्षात्कार हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन अभ्यावेदन संक्षिप्त निरस्त कर दिए जाएंगे।
8. पात्र अभ्यर्थियों की सूचना जिला न्यायालय अशोकनगर की आधिकारिक वेबसाइट ashoknagardcourts.gov.in तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर के सूचना पटल पर चस्पा कर दी जावेगी। सूचना न मिलने की दशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर तथा जिला न्यायालय अशोकनगर की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

9. उपरोक्तानुसार भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से लीगल एंड डिफेंस काउंसिल मॉडीफाईड स्कीम 2022 तथा माननीय म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के मार्गदर्शन अनुसार की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई संशोधन अथवा निरस्तीकरण का अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर का होगा।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरांत,

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय अशोकनगर म.प्र.

नालसा, लीगल एंड डिफेन्स काउंसिल मॉडिफाईड स्कीम, 2022 अंतर्गत
लीगल एंड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री
ऑपरेटर एवं कार्यालय भृत्य की संविदा आधार पर 01 वर्ष हेतु भर्ती

// आवेदन पत्र //

आवेदन पत्र क्रमांक(कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदित पद - (कार्यालय सहायक/रिसेप्शनिस्ट कम डाटा ऑपरेटर/कार्यालय भृत्य)

1. आवेदक का नाम -

2. पिता/पति का नाम -

3. जन्म तिथि :-आयु- 01.04.2025 कोवर्ष.....माह.....दिन.....
(जन्म तिथि के संबंध में आवश्यक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

4. लिंग - पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर

5. वर्तमान पूर्ण पता -

6. स्थायी पूर्ण पता -

7. मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर
(व्हाट्सएप नंबर सहित) -

8. ईमेल आई-डी -

9. पेन कार्ड नंबर
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) -

10. आधार कार्ड नंबर
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) -

11. ड्राइविंग लाइसेंस यदि हो तो
(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) -

12. शैक्षिक योग्यताएं - केंद्र अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय
/ महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

क्र.	कक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण / वर्ष	प्राप्त प्रतिशत
1	8वीं			
2	10वीं			
3	12वीं			
4	स्नातक / स्नात्कोत्तर			
5	कम्प्यूटर योग्यता			
6	अन्य शैक्षणिक योग्यता			

नोट :- आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अनुसार अंकसूची / डिग्री / डिप्लोमा की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

13. कार्य अनुभव :-

आवेदक के पास कोई कार्य अनुभव हो, तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर / -

स्वप्रमाणित
नवीनतम
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ
चरपा करे

स्व-घोषणा पत्र

मैं पद के लिए आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ। मैं
..... पुत्र/पुत्री श्री उम्र वर्ष
..... निवासी जिला राज्य
..... एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे
ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैंने इसमें कुछ भी छिपाया नहीं है, मुझे यह संज्ञान है कि मेरे द्वारा
असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही
मुझे प्राप्त समस्त लाभों को भी वापस किया जाएगा। मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने, न्यायालय तथा अन्य
किसी विभाग में कोई आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

दिनांक :-

हस्ताक्षर / -

स्थान :-

नोट :- यदि कोई आपराधिक प्रकरण/कार्यवाही संस्थित अथवा निराकृत हुई हो तो विवरण एवं दस्तावेज पृथक से प्रस्तुत
करे।